छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,

रिट याचिका क्र. 3475/2004

याचिकाकर्ता : श्रीमती इलिशवा लकड़ा, पति महेंद्र गुप्ता, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी–तहसील प्रतापपुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, जनजातीय विकास विभाग, डी. के. एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़

2) सहायक आयुक्त, जनजातीय कल्याण विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

3) कलेक्टर, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

5) विकासखंड शिक्षा अधिकारी, सरगुजा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 3475/2004

याचिकाकर्ता : श्रीमती इलिशवा लकड़ा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 6 मई, 2006 को सूचीबद्ध करें।

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3475/2004

याचिकाकर्ता	:	श्रीमती इलिशवा लकड़ा
		विरुद्ध
उत्तरवादीगण	:	छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

उपस्थिति:	:	याचिकाकर्ता के के लिए श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादीगण संख्या 1, 2, 3 और 5 के लिए श्रीमती अंजू आहूजा, उप शासकीय अधिवक्ता।
	:	उत्तरवादी क्र. 4 के लिए कोई उपस्थित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(6 मई 2006)

न्यायालय का यह आदेश न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री द्वारा पारित किया गया।

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 31.7.2004 (अनुलग्नक पी/9) की विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को कई अन्य लोगों के साथ पोस्ट मेट्रिक गर्ल्स हॉस्टल, प्रतापपुर के हॉस्टल वार्डन के पद से मिडिल स्कूल कंचनपुर, प्रेम नगर, सरगुजा में स्थानांतरित किया गया था।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश विधिक दृष्टि में दोषपूर्ण और अवैध है, पहला, आक्षेपित आदेश शक्तियों को दुर्भावनापूर्ण रूप से प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, न कि प्रशासनिक अत्यावश्यकता के कारण और न ही जनहित में और दूसरा, याचिकाकर्ता

को पहले दिनांक 14.7.2004 को स्थानांतरित किया गया था और दिनांक 31.7.2004 का दूसरा स्थानांतरण आदेश बार–बार स्थानांतरण करने के समान है।

3. याचिकाकर्ता ने इस आधार पर दुर्भावना का आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता को पहले कदाचार के कुछ आरोपों पर निलंबित कर दिया गया था और जांच के बाद याचिकाकर्ता को कथित कदाचार से वियुक्त कर दिया था और परिणामस्वरूप निलंबन को दिनांक 12.5.2003 को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आक्षेपित स्थानांतरण आदेश उन व्यक्तियों के कहने पर पारित किया गया था, जिन्होंने पहले याचिकाकर्ता के विरुद्ध कदाचार के आरोप लगाए थे, और जिसके परिणाम में उसे कथित कदाचार से दोषमुक्त कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. यह किसी अन्य दस्तावेज़ या उन व्यक्तियों के किसी अन्य आचरण से साबित नहीं होता है जो याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने में कथित रूप से सहायक थे। विद्वान अधिवक्ता ने यहाँ तक कि उन व्यक्तियों के नामों का भी खुलासा नहीं किया है, जिन्होंने शिकायतें की थीं और जिनकी शिकायतों पर आक्षेपित स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था। यह आरोप बिना किसी दस्तावेज़ के समर्थन के उतना ही अस्पष्ट है, जितना अस्पष्ट हो सकता है। अल्प अवधि में पारित एक या दो स्थानांतरण आदेश बार–बार स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिससे स्थानांतरण आदेश को दोषपूर्ण कहा जाए। याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कई अन्य लोगों के साथ जनहित में प्रशासनिक आवश्यकता के कारण किया गया था, जैसा कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश से स्पष्ट है।

5. उत्तरवादीगण ने स्पष्ट रूप से अपने जवाबदावा में कथन किया है:–

"यह फिर से दोहराया गया है कि स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता के कारण जारी किया गया है और आक्षेपित स्थानांतरण आदेश जारी करने में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई अन्य विचार शामिल नहीं है। जुलाई 2003 से 8–1–2004 की अवधि के लिए वेतन के भुगतान के संबंध में, याचिकाकर्ता कर्तव्यों से अनुपस्थित था और इस कारण से उसे वेतन आदि का भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को तब नियमित किया जाएगा जब वह इसके लिए आवेदन करेगी और उसके बाद याचिकाकर्ता को वेतन के भुगतान के संबंध में केवल आवश्यक आदेश पारित किए जा सकते हैं।"

6. सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णयों में, मुख्य रूप से **ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1974 एससी 555, के नारायणन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य एआईआर 1994 एससी 55, बी वरदा राव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, एआईआर 1986 एससी 3 1955, राजेंद्र रॉय बनाम भारत संघ, एआईआर 1993 एससी 1236, उत्तरप्रदेश राज्य और अन्य बनाम सिया राम और अन्य, (2004) 7 एससीसी 405, भारत संघ और अन्य बनाम जनार्दन देबनाथ और अन्य, (2004) 4 एससीसी 245, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गोबर्धन लाल, 2004 एआईआर एससीडब्ल्यू 2082** के प्रकरणों में विधिक स्थिति को स्पष्ट रूप से तय कर दिया है कि स्थानांतरण सेवा की एक शर्त है और लोक हित तथा लोक प्रशासन में दक्षता के लिए यह आवश्यक है। शक्तियों के दुर्भावनापूर्ण प्रयोग या किसी वैधानिक नियमों के उल्लंघन के मामले को छोड़कर, नियोक्ता के निर्णय को सेवा की प्रशासनिक आवश्यकता के हित में प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। वर्तमान याचिका में आक्षेपित आदेश न तो शक्तियों को दुर्भावनापूर्ण रीती से प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, न ही विधि के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और न ही प्राधिकारी की सक्षमता के बारे में कोई शिकायत है। आक्षेपित स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक आवश्यकता में पारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे दिनांक 31.7.2004 (अनुलग्नक पी/9) के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं दिखता। याचिकाकर्ता को बकाया भुगतान के संबंध में, उत्तरवादीगण ने अपने जवाबदावा में स्वीकार किया है कि जुलाई, 2003 से 8.1.2004 के बीच याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को तब नियमित किया जाएगा जब याचिकाकर्ता अपनी अनुपस्थिति की अवधि नियमितीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगी। अतः इस संबंध में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

9. परिणामस्वरूप, यह याचिका निरस्त की जाती है । वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ठाकुर

सही/–
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**